

थाना रहरा पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड गौकशी कर रहा अभियुक्त अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार ।

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा श्रीमती सुनीति के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा श्री अजय प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी हसनपुर के निकट पर्यवेक्षण में कल दिनांक 18/19.02.2021 की रात्रि थाना रहरा पुलिस द्वारा जंगल में गौकशी कर रहा अभियुक्त बाद पुलिस मुठभेड अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया ।

अवगत कराना है कि कल दिनांक 18/19.02.2021 की रात्रि समय करीब 01.15 बजे थाना रहरा पुलिस द्वारा ग्राम गंगवार से ग्राम ढकिया खादर जाने वाले रास्ते पर वन विभाग के जंगल में गौकशी कर रहे 03 अभियुक्तों को आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया तो अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर दिया जिससे पुलिसकर्मी बाल बाल बचे । बाद मुठभेड पुलिस टीम द्वारा गौकशी कर रहे अभियुक्त जुल्फीकार पुत्र बाबू निवासी गंगवार थाना रहरा जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया जिसके 02 अन्य साथी करीब 4 फिट गहरे ईख के खेत में कुदकर अंधेरे का लाभ लेकर फरार हो गये । गिरफ्तार अभियुक्त जुल्फीकार के कब्जे से 01 खोखा कारतूस व 01 बोर मय 315 तमंचा 01जिंदा कारतूस बोर 315 व मांस काटने के उपकरण ,कट्टे,कुल्हाडा,छूरी) ,रस्सीLED लाइट आदि(व 02 जीवित गौवंशीय पशु बरामद हुये । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रहरा पर मु0अ0सं0 40/2021 धारा 34,307 भादवि (पुलिस मुठभेड), 3/5ए/8 गौ वध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व मु0अ0सं0 41/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम बनाम जुल्फीकार पंजीकृत किया गया । फरार अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जुल्फीकार गैंगस्टर अभियुक्त है जोकि वर्ष 2018 में भी गौकशी करने के जुर्म में थाना आदमपुर द्वारा पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार किया गया था । पुछताछ पर अभियुक्त द्वारा आर्थिक लाभ लेने हेतु आस पास के क्षेत्रों से आवारा घूमने वाले गौवंश को पकडकर जंगल में लाकर वध कर गौवंश का मीट बेचना बताया गया । गिरफ्तार अभियुक्त से पुछताछ



गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. जुल्फीकार पुत्र बाबू निवासी गंगवार थाना रहरा जनपद अमरोहा ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त जुल्फिकार:-

1. मु0अ0सं0 40/2021 धारा 34,307 भादवि (पुलिस मुठभेड़), 3/5ए/8 गौ वध अधि0 व 11 पशु कूरता अधि0 थाना रहरा जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0सं0 41/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना रहरा जनपद अमरोहा ।
3. मु0अ0सं0 123/2018 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।
4. मु0अ0सं0 124/2018 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।
5. मु0अ0सं0 125/2018 धारा 3/5ए/8 गौ वध अधि0 थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।
6. मु0अ0सं0 291/2018 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना आदमपुर जनपद अमरोहा ।

फरार अभियुक्त:-

1. सना उल्ला पुत्र रहमत अली निवासी ग्राम गंगवार थाना रहरा जनपद अमरोहा ।
2. उवैद पुत्र सना उल्ला निवासी ग्राम गंगवार थाना रहरा जनपद अमरोहा ।

बरामदगी का विवरण: -

1. 01 तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर ।
2. दो जीवित गौवंशीय पशु व मांस काटने के उपकरण(छूरी,कुल्हाडा,कट्टे, रस्सी, LED लाइट आदि) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र सिंह थाना रहरा जनपद अमरोहा
2. वरि0उ0निरीक्षक श्री अभितेन्द्र सिंह थाना रहरा जनपद अमरोहा ।
3. उ0नि0 श्री रामप्रसाद यादव थाना रहरा जनपद अमरोहा ।
4. का0 1134 सतेन्द्र कुमार थाना रहरा जनपद अमरोहा ।
5. का0 197 अतुल मलिक थाना रहरा जनपद अमरोहा
6. का0 452 यशपाल सिंह थाना रहरा जनपद अमरोहा ।

7. का0 1040 राहुल ढाका थाना रहरा जनपद अमरोहा ।